न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प पचपदरा

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

<u>राजस्व अपील संख्या 04/2014</u>

अपीलांट		रेस्पोडेटस
1. राणाराम पुत्र अमराराम 2. सांगाराम पुत्र अमराराम 3. बाबूलाल पुत्र अमराराम 4. गुमनाराम पुत्र सोनाराम 5. फूसाराम पुत्र सोनाराम 6. भगाराम पुत्र सोनाराम 7. हीराराम पुत्र सोनाराम 8. मिरगो पत्नी सोनाराम 9. चिमनाराम पुत्र धींगड़राम के कायम मुकाम– 1/1 भंवरलाल पुत्र चिमनाराम 1/2 सुखाराम पुत्र चिमनाराम 1/3 सुमेराराम पुत्र चिमनाराम 1/4 पूनाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी ग्वालनाडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	बनाम	1. चुतराराम पुत्र गुणेशाराम के कायम मुकाम– 1/1 रमेशराम पुत्र चुतराराम 1/2 राजूराम पुत्र चुतराराम 1/3 अजाराम पुत्र चुतराराम 2. दुर्गाराम पुत्र गुणेशाराम जाति जाट निवासी ग्वालनाडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 15.2.2008 द्वारा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 53 (2)(i)

उपस्थित– 1. अपीलांटस सं0 1 से 9 एवं 1/1, 1/2 व 1/4 उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 1/1 व 2 उपस्थित।

निर्णय — <u>दिनांक 14.06.2017</u>

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम ग्वालनाडा के खसरा नंबर 27, 97, 98, 29, 578/130, 596/158, 646/210, 648/213 व 26 क्रमशः रकबा 27 बीघा 12 विस्वा, 13 बिस्वा, 24 बीघा 07 बिस्वा, 06 बिस्वा, 50 बीघा 08 बिस्वा,

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

03 बीघा, 51 बीघा 15 बिस्वा एवं 19 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 197 बीघा 01 बिस्वा आई हुई है। उक्त खसरो की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाने हेतु आवेदन दिनांक 15.2.2008 को अन्तर्गत धारा 53 (2)(i) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार पचपदरा के समक्ष पेश किया गया परन्तु हल्का पटवारी व भू0अ0निरीक्षण ने बंटवाड़े के साथ जो नक्शा पेश किया वो मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त अनुसार पेश नहीं किया गया। अपीलांटस के कब्जा काश्त की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हिस्से में चली गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त की भूमि अपीलांटस के हिस्से में आ गई। जिसका ज्ञान अपीलांटस को नहीं हुआ। भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है। पटवारी हल्का द्वारा मिलीभगत कर तहसीलदार पचपदरा से अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.2008 पारित करवाया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प "न्याय आपके द्वार" के तहत कोर्ट केम्प पचपदरा में पेश हुई, जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिसो की तामीली करवा दी गई थी।
4. रेस्पोडेंटस संख्या 1/1 व 2 द्वारा जाहिर किया कि ग्वालनाडा के खसरा नंबर 27, 97, 98, 29, 578/130, 596/158, 646/210, 648/213 व 26 क्रमशः रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा, 13 बिस्वा, 24 बीघा 07 बिस्वा, 06 बिस्वा, 50 बीघा 08 बिस्वा, 03 बीघा, 51 बीघा 15 बिस्वा एवं 19 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 197 बीघा 01 बिस्वा पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बाहामी बंटवाड़ा हो रखा है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार पचपदरा के

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

समक्ष पेश किये गये तहसीलदार पचपदरा द्वारा विधिवत विभाजन आदेश दिनांक 15.2.2008 पारित किया गया। अतः अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज की जायें।

5. अपीलांटस सं0 1 से 4 का कथन हैं कि विभाजन पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार नहीं किया गया। विभाजान आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार पचपदरा द्वारा नियम 18 से 20 की पालना की नहीं गई। रेस्पोडेंटस को अच्छी एवं उपजाउ भूमि दी गई एवं अपीलांटस के हिस्से में धोरे की जमीन रखी गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 15.2.2008 निरस्त किया जायें।

6. अपीलांटस सं0 5 से 8 एवं 1/2 व 1/4 ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि हमारी संयुक्त खातेदारी का बंटवाड़ा सभी पक्षकारान द्वारा राजी खुशी से आपसी सहमति से किया गया था। पूर्व में सबकी सहमति से किये गये बंटवाड़े मे किसी प्रकार के बदलाव के लिए हमारी सहमति नहीं है।

7. हमने उभयं पक्षो को सुना। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार पचपदरा द्वारा तहत पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 15.2.2008 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम ग्वालनाडा के खसरा नंबर 27, 97, 98, 29, 578/130, 596/158, 646/210, 648/213 व 26 रकबा 27 बीघा 12 विस्वा, 13 बिस्वा, 25 बीघा 07 बिस्वा, 06 बिस्वा, 50 बीघा 08 बिस्वा, 03 बीघा, 51 बीघा 15 बिस्वा एवं 19 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 197 बीघा 01 बिस्वा आई है। । अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार पचपदरा के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.2008 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प पचपदरा में आज दिनांक 14.6.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)